



Neutral Citation Number– 2026:AHC:59561

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8589/2026

शांति देवी उर्फ सोनम

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: पंकज कुमार मिश्रा

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह तत्काल जमानत आवेदन , वाद अपराध संख्या-910/2024 (एस.टी.संख्या-724/2025) में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह मामला बी.एन.एस. की धारा-109, 103(1) और 326(जी) के तहत, पुलिस थाना-चिलुआताल, जिला-गोरखपुर में दर्ज है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, सह-आरोपी बेचन ने पहले कुछ ज्वलनशील रसायन डाले और उसके बाद घर को बाहर से बंद करके आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप जलने से चार लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि मृतक का मृत्यु-पूर्व बयान और पप्पू का बयान दर्ज किया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया; ज्वलनशील रसायन डालने, दरवाजा बाहर से बंद करने और घर में आग लगाने का आरोप सह-आरोपी बेचन के खिलाफ लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को केवल इस तथ्य के कारण झूठा फंसाया गया है कि वह सह-आरोपी बेचन की पत्नी है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मुन्नी लाल, जो आवेदक के ससुर हैं, ने अस्पष्ट आरोप लगाया है कि आवेदक भी अपने पति बेचन के साथ मौजूद थी, लेकिन मुन्नी लाल घर के अंदर सो रहे थे, जैसा कि उनके बयान में कहा गया है, इसलिए उनके लिए असली अपराधी की पहचान करना संभव नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि पप्पू घर के बाहर सो रहा था; उसने असली अपराधी को देखा और बेचन के खिलाफ स्पष्ट आरोप लगाया।

उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक महिला है और उसे केवल इस तथ्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है कि वह सह-आरोपी बेचन की पत्नी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 24.12.2024 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्य पर कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **शांति देवी उर्फ सोनम** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021 के तहत दिनांक 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

23 मार्च, 2026

सीएस/-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"